कार्यालय कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला सागर मध्य प्रदेश

क्रमांक/05 अ/82/19–20 /5165 सागर, दिनॉंक 02-07-19

मौजा गालेपुर पट.ह.नं.–135 तहसील सागर

:: सार्वजनिक सूचना ::

चूँकि शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः अनुसूची में अंकित भूमि धारकों की अंकित भूमि राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक–2 केसली जिला सागर के पक्ष में परकुल मध्यम परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक–12–2/2014/सात/2एं भोपाल, दिनॉंक 12/11/2014 (आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति) के तहत क्रय करने पर विचार किया जा रहा है।

अतः मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञापन क्रमांक–12–2/2014/सात/2ए भोपाल, दिनॉंक 12/11/2014 की कंडिका 11(1) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर (सार्वजनिक अवकाश दिवसों को छोड़कर) कार्यालयीन समय में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। बाद म्याद गुजारे जाने पर किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक 12–2/2014/सात/2ए भोपाल, दिनॉंक 12/11/2014 की कंडिका 11(1) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:–

(1) परियोजना का नाम : परकुल मध्यम परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु

(2) भूमि का विवरण

1. जिला : सागर
2. तहसील : सागर
3. ग्राम : गालेपुर
4. पट.ह.नं.– : 135
5. क्रय की जा रही भूमि का क्षेत्रफल : 0.399 है.

क्र.	भू–धारक का नाम/पिता/पति का नाम/निवास स्थान	खसरा नंबर	कुल क्षेत्रफल (है. में)	अर्जित क्षेत्रफल (है. में)	स्थावर परिसंपत्तियां
1	2	3			6
1	शिवराज सींग पिता डोमन सींग साकिन केवलारी भूमिस्वामी	16/1	2.360	0.031	निरंक
2	रामराज सींग पिता डोमनसींग साकिन केवलारी भूमिस्वामी	16/2	2.350	0.036	निरंक
3	प्रताप बालिग बब्बू विनोद नाबालिग पिता नन्हेभाई वली भाई प्रताप कुसुमबाई वेवा नन्नेभाई सीताबाई पुत्री नन्नेभाई साकिन केवलारी भूमिस्वामी	83	0.160	0.082	निरंक
4	श्रीसींग पिता वंशीधर साकिन बक्सवाहा भूमिस्वामी	45	0.330	0.110	निरंक
5.	हीरासींग पिता तेजीसिंह साकिन गालेपुर भूमिस्वामी	68/2	0.600	0.140	निरंक
	योगः–	05 किता	5.800	0.399	निरंक

भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक–2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

कलेक्टर,
जिला सागर म.प्र.
कलेक्टर
सागर

पृ. क्रमांक / 05 अ / 82 / 19–20 / 5165 सागर, दिनाँक 02-07-19

प्रतिलिपिः–

1– आयुक्त जन संपर्क कार्यालय मध्य प्रदेश भोपाल की ओर सूचना की 03 प्रति प्रेषित कर अनुरोध है कि एक राज्य स्तरीय पेपर एवं एक स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन कराकर कृपया प्रकाशित समाचार पत्रों की प्रतियां इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2– कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक–2 केसली जिला सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3– प्रभारी अधिकारी, जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र सागर की ओर जिले की वेवसाईड पर अपलोड कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु।

4– अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर जिला सागर की ओर कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा कराये जाने एवं समयावधि में प्राप्त आपत्तियों एवं उनके निराकरण संबंधित प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत किये जाने हेतु।

5– तहसीलदार सागर की ओर अ.वि.अ.कार्या / तहसील कार्यालय के सार्वजनिक सूचंना पटल पर / प्रभावित ग्राम / ग्राम पंचायत में डोंडी पिटवाकर चस्पा कराकर पालन प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर के कार्यालय में प्रस्तुत कर प्रकरण में संलग्न करोय जाने हेतु।

6– जिला नाजिर, जिला कार्यालय सागर की ओर कार्यालय के सार्वजनिक सूचना पटल पर चस्पा कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु।

कलेक्टर,
जिला सागर म.प्र.
सागर